दस्तक देते रहेंगे

संपादन

डॉ. शिप्रा मिश्र

DJMIES

डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान

दस्तक देते रहेंगे

दस्तक देते रहेंगे

(डॉ. जगन्नाथ मिश्र के सदनों में दिये कुछ चुने हुए भाषण)

संपादन

डॉ. शिप्रा मिश्र

संकलन

डॉ. संजीव मिश्र

डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान

पटना, बिहार

दस्तक देते रहेंगे

(डॉ. जगन्नाथ मिश्र, भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री द्वारा
वर्ष1968 से 2000 तक विभिन्न सदनों में दिये गये कुछ चुने हुए भाषण)

पेपरबैक

प्रथम संस्करण-2020
भारत

प्रकाशक-डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान
वीणाकुंज, 113/70 बी, लालबहादुर शास्त्री नगर,
पटना-800023
फोन– 0612-2280721

संपादन- डॉ. शिप्रा मिश्र
संकलन-डॉ. संजीव मिश्र

आवरण चित्र- श्री राजेश श्रीवास्तव

© डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान
इस पुस्तक के किसी अंश का प्रकाशन संपादक एवं प्रकाशक की
पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है

ISBN– 978-81-934570-3-0

मूल्य- 300 रुपये

पुस्तक की मूल्य-राशि बैंक में भी भेजी जा सकती है, जिसका विवरण निम्नांकित है-
Canara Bank, Exhibition Road, Patna-800001, IFSC– CNRB0002004
Account No. 2004101005998, Account Name– Bihar Institute of Economic Studies

इस पुस्तक से प्राप्त सम्पूर्ण आय डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान
कोरोना-संकट से प्रभावित लोगों या उनके समूहों के पुनर्वास पर व्यय करेगा।

मुद्रक- गुप्ता बुक बाइंडिंग हाऊस, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली

यादों में विराट् व्यक्तित्व

बाबूजी के बारे में लिखना मेरे लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए सागर को गागर में समेटने जैसा प्रयास है। मेरे लिए यह और भी मुश्किल हो जाता है। गहरे भावनात्मक सम्बन्धों को शब्दों में बाँधना कठिन उपक्रम तो होता ही है। बाबूजी से 24 फरवरी,1988 को मुझे आशीर्वाद मिला। इसी दिन मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी। कुछ दिनों बाद ही बाबूजी राज्य सभा सदस्य बने। अगले साल वे बिहार के तीसरी बार मुख्यमंत्री भी बने।

बाबूजी एक गंभीर अर्थशास्त्री थे, परन्तु उनके प्राण लोककल्याण में बसते थे। स्वाभाविक है उनकी व्यस्तता बहुत थी। सबके लिए हर समय उपलब्ध रहते थे। परन्तु, परिवार में भी वे उतने ही सहज और सहृदय रहते थे। लोकजीवन की परेशानियों, चिन्ताओं और संघर्षों को वे घर नहीं लाते थे और न ही वे किसी और पर उसे प्रकट होने देते थे। हाँ, घर में हों या घर के बाहर हों, उनके लिए सबसे पसंदीदा विषय था राज्य के विकास की दशा और दिशा पर विचार-विनिमय करना। बाबूजी जनता के बीच डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते थे। इस नाम में गरिमा भी थी और प्यार भी था।

बाबूजी वर्ष1968 से 1972 तक बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहे। वर्ष1972 से 1988 तक और फिर वर्ष1990 से 1994 तक बिहार विधान सभा के सदस्य थे। वर्ष1988 से 1990 एवं वर्ष1994 से 2000 तक राज्यसभा के सदस्य रहे।

बाबूजी को पुस्तकों से बहुत प्रेम था। उन्हें जब भी सरकारी कामकाज और लोकजीवन की जिम्मेदारियों से थोड़ा भी अवकाश मिलता, अपने पुस्तकालय में पुस्तकों के बीच खोए रहते।

वे एक गंभीर लेखक थे। देश-राज्य और जनता के प्रासंगिक सरोकारों पर तथ्य एवं तर्क ये युक्त लेखन करते थे। उनकी दर्जनों पुस्तकों और अनगिनत आलेखों में इसे गंभीरता से महसूस किया जा सकता है। निधन से ठीक पहले वे इस पुस्तक पर मंथन कर रहे थे, परन्तु दुर्भाग्यवश यह काम अधूरा रह गया था। मैंने बाबूजी से गुरुमंत्र की दीक्षा ली थी। वे मेरे धर्मगुरु एवं मार्गदर्शक भी थे। उसी दिव्य प्रेरणा से हमने इस अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प किया और वह आज पुस्तकाकार में आप सबके सामने है।

आप देखेंगे कि जो बाबूजी का व्यक्तित्व था, वही उनकी वक्तृता में प्रकट हुआ है। वे जनता के बीच में रहते थे, जनता की भाषा बोलते थे। आपको इस पुस्तक में संगृहीत उनके उद्बोधनों में वही साफगोई

मिलेगी। वे मैथिली, संस्कृत, हिन्दी और अँगरेजी भाषाओं पर तो पकड़ रखते ही थे, उर्दू भाषा से भी उनका ख़ास लगाव था। उर्दू भाषा के विकास के लिए उन्होंने जितना किया, शायद ही आधुनिक भारत में किसी और ने उतना किया हो। उनकी भाषा में बोलचाल का पुट था, इस पुस्तक में भी आपको वही पढ़ने को मिलेगा। बाबूजी जनता से संवाद बहुत सहज रखते थे और उसे सबसे महत्त्वपूर्ण भी मानते थे। इसीलिए, उनसे मिलने वाला व्यक्ति जिस भाषा को बोलने वाला होता, उससे वे उसकी भाषा में ही बात करते। वे भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका- सभी बोलियों-भाषाओं में निपुण रूप से संवाद कर सकते थे। एक और महत्त्वपूर्ण बात कि बाबूजी कोई आधारहीन बात नहीं करते थे। वे हमेशा ताजा आँकड़ों के साथ तैयार रहते थे। आप देखेंगे कि उन्होंने हर विषय पर अपने विचारों को आँकड़ों से ही पुष्ट करने का प्रयास किया है।

इस संग्रह में संकलित बाबूजी के उद्बोधन एक तरह से बिहार के विकास की यात्रा की कथा कहते हैं, जिसके सबसे महत्त्वपूर्ण सूत्रधार और सहचर वे स्वयं थे।

यह पुस्तक ऐसे समय में आ रही है, जब पूरा देश ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व नवनिर्माण की चुनौतियों के लिए अपने को तैयार कर रहा है। आज बाबूजी होते, तो निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करते। आज सबसे अधिक चुनौती उनके समक्ष है, जो विकास के हाशिए पर हैं। बाबूजी ने दलितों-शोषितों और उपेक्षितों के उत्थान के लिए कई क्रान्तिकारी कदम उठाए थे, जिसकी चर्चा आज भी गाँव-गाँव में होती है। उनकी उसी भावना का समादर करते हुए हमने बड़ी विनम्रता से यह निर्णय किया है कि इस पुस्तक के विक्रय से प्राप्त सारी आय कोरोना-संकट से प्रभावित लोगों अथवा समूहों पर व्यय की जाएगी।

इस संग्रह को प्रकाशित करने में बाबूजी को चाहनेवाले अनगिनत लोगों ने योगदान किया है। मैं सब के प्रति अपना और डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान का आभार प्रकट करती हूँ। उस विराट व्यक्तित्व को एक बार पुनः विनम्र नमन।

त्वदीयं वस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पयामि।

24 जून, 2020

डॉ. शिप्रा मिश्र

वीणाकुंज, 113/70बी,
लालबहादुर शास्त्री नगर, पटना
vjdjmies@gmail.com

भूमिका

यह पुस्तक आप सभी के प्रिय डॉक्टर मिश्र के कुछ भाषणों का संकलन है। ये भाषण उनके जनप्रतिनिधि-रूप में दिए गए उद्बोधन हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दों पर हैं। इन भाषणों की काल-सीमा भी विस्तृत है- लगभग साढ़े तीन दशकों में फैली हुई। परन्तु, ये हैं आज भी उतने ही प्रासंगिक। ये समकालीन राजनीति को समझने में भी बहुत सहायक हैं।

ये भाषण डॉ. मिश्र के बहुआयामी व्यक्तित्व को परिलक्षित करते हैं। इन भाषणों में आपको एक आदर्श जनप्रतिनिधि की उदारता, एक कुशल प्रशासक की दक्षता, एक अर्थशास्त्री की दूरदर्शिता, एक शिक्षाविद् की स्पष्टवादिता, एक चिंतक की गंभीरता और एक सहज मानवहृदय की उत्कंठा- सब देखने को मिलेगी।

उनके दूरदर्शी अर्थशास्त्री रूप का एक उदाहरण देखिए। हमारी संसद् में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) एक्ट वर्ष 2003 में पारित हुआ, लेकिन डॉ.मिश्र ने विधान परिषद् के सदस्य के रूप में वर्ष 1968 में ही उसकी तरफ स्पष्ट संकेत किया था:

'संविधान में जो निहित धारा है उसमें सीमा-बंधन की व्यवस्था है कि राज्यों की जो आय हो उसके दस गुने या पन्द्रह गुने तक ऋण ले सकते हैं। अगर इसको बाँध दिया जाए, तो केन्द्रीय वित्तीय प्रणाली की वजह से जो मुद्रा-स्फीति होती है, वह न होगी।---------ऋण लेने के लिए एक नेशनल डेवलपमेंट कांउसिल का गठन किया जाय और इस काम को उसी को सौंप दिया जाय और वही केन्द्र और राज्यों को ऋण लेने का निर्णय करे और तब केन्द्र या राज्यों को दे। इससे अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।'

-चुनौतियाँ, 19 जून,1968

उनके जनप्रतिनिधि-रूप की उदारता और प्रशासकीय दक्षता का उदाहरण है उनके द्वारा किए भूमि सुधार के लिए उठाए गए साहसिक कदम। लाखों परिवार आज भी डॉक्टर साहब के उस ऐतिहासिक निर्णय का आभार मानते हैं। उन्होने कहा था-

'हम समाज में नया परिवर्त्तन करना चाहते हैं। भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं। अब उनको कोई भी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है।'

-नया परिवर्तन, 12 जुलाई, 1976

उन्होंने जनप्रतिनिधि के तौर पर एक नई राजनीति की शुरुआत की, जिसमें लोकहित दलगत राजनीति से कहीं ऊपर था। बिहार की उन्नति के लिए वेहमेशा दलों की सीमा से उठकर सोचते थे । उनका यह विश्वास था:

'मैंने बिहार की समस्याओं को दलों की सीमा में नहीं बाँधा है। बिहार की उन्नति में हमारी कोई राजनीति नहीं हो सकती है। केन्द्र की उपेक्षा होगी, तो उसके विरुद्ध हमारी आवाज उठेगी।-------आपसी कलुष और भेदभाव भुलाकर बिहार की तकदीर सँवारने के लिए कंधों से कंधा मिलाकर जुट जायें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुबह होगी।'

अनुभव और सुझाव, 23 मार्च,1994

उनका अर्थशास्त्री मन हमेशा बिहार के बेहतर कल की योजना बनाने में लगा रहता था। उदारवाद पर वो बिहार को एक समर्थ प्रतियोगी बनाना चाहते थे:

'बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार को विशेष रूप से सोचना पड़ेगा। यह जो उदार आर्थिक नीति के तहत निवेश हो रहा है, इसे बिहार में भेजिये। जो उद्योग बन रहे हैं, उन्हें भेजिये अन्यथा, एक बड़ी खाई बनेगी जो देश के लिए खतरे का संकेत होगी।-------आज जहाँ दुनिया में प्रतियोगिता मूलक अर्थतंत्र उपस्थित है, वहाँ भारत को भी उस प्रतियोगिता में खरा उतरने के लिये पूरी तैयारी करनी होगी। आपको कामयाबी तभी मिलेगी, जब अपने अर्थतंत्र को इस ढाँचे पर चलायेंगे।'

वित्तीय प्रबंध-कुशलता,18 अगस्त,1994

अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में डॉक्टर साहब को कई गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। उनमें सबसे चुनौती भरा था- चारा घोटाला। सत्तालोलुप राजनीतिक में सच्चाई और तर्क की जगह कमजोर हो गई। उन्होंने बड़ी गंभीरता से अपनी बातें रखीं, लेकिन अफ़सोस की बात है कि उनकी बातों को किसी ने सुना ही नहीं:

'बिहार के कोषागारों से राजनेता, ठेकेदार और अफसर के तालमेल से रुपये निकाले जा रहे हैं। यह गंभीर मामला है। बजट पर ये कोई जवाब नही दे रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं, वह कोई मायने नहीं रखता है।------ आपका विवरण हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप पूरा विवरण कल सदन में पेश कीजिए और पूरी जानकारी दीजिए। 1200 करोड़ रुपये के घपले का सवाल है, इसलिए पूरी जानकारी दीजिए। सदन की पूरी कमिटी बनाइये, जाँच कमिटी बनाइये। दोनों सदन की कमिटी बनाइये ताकि सारे घपले की जाँच हो। जनता दल पूरा पैसा खा गया है।'

कोषागारों से अवैध निकासी, 8 जुलाई, 1993

डॉक्टर साहब गाँवों के उत्थान के लिए हमेशा चिन्तनशील रहते थे। वे गाँव के स्वावलम्बन पर बल देते थे। वे गाँवों की शहरों पर आश्रितता कम से कम करना चाहते थे। उनका मानना था कि गाँवों के उत्थान के लिए उद्योगीकरण आवश्यक है:

'हमारा राज्य ग्रामीण मूलक राज्य है, वही इसके जीवन का आधार है। इसे उठाने के लिए आवश्यक है कि हर गांव, प्रखंड और जिले में औद्योगीकरण करने की व्यवस्था करें और ऐसा लगे कि सचमुच हम ग्रामीण जनता में आमूल परिवर्त्तन करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्त्तन करना चाहते हैं।'

हरितक्रांति और औद्योगिकरण, 4 दिसम्बर,1970

डॉ. मिश्र मूलतः और अंततः एक शिक्षाविद् थे। उनका राजनीति में प्रवेश भी शिक्षा-जगत् के प्रतिनिधि के तौर पर ही हुआ था। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व में शिक्षा-जगत् में सुधार के लिए अनेक उपाय किए। वे शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने पर भी बहुत बल देते थे। उन्होंने कहा था-

'शिक्षा की जो व्यवस्था आज है, वह दोषपूर्ण है, रोजगारी नहीं है। आज देश में शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देश की शिक्षा रोजगारमूलक हो। प्रशिक्षित होकर जो लोग निकलें वे सही दिशा में, सही काम पर लगें।'

रोजगार की समस्या, 14 मार्च,1970

डॉक्टर साहब को'मीरे उर्दू' का ख़िताब मिला था। उन्होंने उर्दू भाषा को मिल्लत की भाषा माना। वे भाषाविद् थे और जानते थे कि उर्दू ने भारतीय भाषाओं के विकास में कितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे उर्दू को साम्प्रदायिक राजनीति से दूर रखकर उसका समुचित विकास चाहते थे। उन्होंने उर्दू के वाजिब हक़ के लिए कठिन लड़ाई लड़ी थी। जब बिहार में उसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, तब उन्होंने अपनी भावना कुछ इस तरह प्रकट की थी-

'किसी भाषा से उर्दू का टकराव नहीं है और न होता ही है। किसी भी भाषा का दूसरी किसी भाषा से टकराव होता भी नहीं है। जब किसी भाषा का किसी भाषा से टकराव होता है, तो वह दूषित मनोभावना से प्रेरित होने या किये जाने की वजह से ही होता है। उसे राजनीतिक स्वरूप दिये जाने के कारण ही होता है।'

राजभाषा उर्दू, 19 दिसम्बर,1980

राजनीति में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिद्धांतों की बलि नहीं देनी चाहिए । उनका चिंतक स्वरूप उन्हें हमेशा मानवता के मूल सिद्धान्तों को किस अन्य सिद्धान्त पर वरीयता देता था। वे सत्ता की राजनीति नहीं करते थे, वे लोकहित की राजनीति करते थे। उनका मानना था:

'चुनाव हारे या जीते, किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव जीतना, हारना कोई महत्व का विषय नही है। महत्वपूर्ण विषय होता है पोलिटिकल कमीटमेंट ऑफ सर्टेन आइडियालॉजी एण्ड प्रिसिंपुल। कुछ सिद्धांतों की प्रतिबद्धता पोलिटिकल पार्टी के जीवन-मरण का सवाल होता है। चुनाव जीतना हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है।'

मीरे उर्दू, 16 दिसम्बर,1980

डॉ. मिश्र सरल हृदय थे और जनभावना को बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे कि जनमत से ही जनतंत्र बनता है। जनमत की उपेक्षा किसी भी क़ीमत पर नहीं होनी चाहिए। और, अपनी इस भावना पर अमल करते हुए उन्होंने बेहिचक अपनी भूलों का सुधार भी किया। ऐसे उदाहरण पेश करनेवाले राजनेता अब बहुत कम मिलते हैं। ऐसे ही एक मौके पर जब उन्होंने प्रेस से सम्बद्ध एक अधिनियम को वापस लिया था, तब एक लंबा वक्तव्य दिया था-

'.....इसलिए अगर प्रेस में यह भावना हो जाय कि एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपीनियन ढंग से नहीं हो सकती है तो यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। इस डेमोक्रसी को हमने बहुत कुर्बानी देकर पाया है। इसलिए अगर यह भावना बन जाय कि डेमोक्रेसी अनियंत्रित हो सकती है या डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है और फ्री बिल ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकती है, अगर यह भ्रम बन जाय तो हमें रिसपोंड करना चाहिए और हम समझते हैं हमको पब्लिक ओपीनियन का विरोध नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं कि सरकार के लिए यह जरूरी भी है कि वो जनमत के साथ चले .....। हम यह महसूस करते हैं कि अपने डेमोक्रेसी की यह बहुत बड़ी विशेषता है और इसके कारण डेमोक्रेसी मजबूत होती जा रही है और डेमोक्रेसी की जड़ नीचे पाताल में जा रही है और कोई भी इस डेमोक्रेसी की जड़ को हिला नहीं सकता है क्योंकि इस देश में स्ट्रांग पब्लिक ओपीनियन है और पब्लिक ओपीनियन रि-एक्ट करती है। .....इसलिए अगर प्रेस में यह भावना हो जाय कि एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपीनियन ढंग से नहीं हो सकती है, तो यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है और इस डेमोक्रसी को बहुत कुर्बानी देकर पाया है। इसलिए अगर यह भावना बन जाय कि डेमोक्रेसी अनियंत्रित हो सकती है या डेमोक्रेसी कमजोर हो सकती है और फ्री बिल ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो सकती है, अगर यह भ्रम बन जाय तो हमें रिसपोंस करना चाहिए और हम समझते हैं हमको पब्लिक ओपीनियन का विरोध नहीं करना चाहिए। हम समझते हैं कि सरकार के लिए यह जरूरी भी है कि वो जनमत के साथ चले.....हम एक उदाहरण पेश करेंगे कि दोनों सदनों ने जो प्रस्ताव स्वीकृत किया था राष्ट्रपति के यहाँ जो आरक्षित था सहमति के लिये इस अवस्था में हमने उसको वापस लेकर एक परिपाटी भी बनाई और लोकतंत्र की रक्षा भी की। पब्लिक ओपिनियन का हमने रेस्पेक्ट किया।'

प्रेस के संबंध में भूल सुधार, 27 जुलाई, 1983

डॉ. मिश्र जब पहली बार विधान परिषद् में चुनकर आये थे, वे किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। मुज़फ्फरपुर स्नातक क्षेत्र से उनकी जीत, उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता की जीत थी। वे झंझारपुर से विधान सभा के पाँच बार सदस्य रहे। वर्ष 1988 एवं 1996 में वे राज्यसभा के भी दो बार सदस्य रहे। सदनों के सदस्य रहते हुए वे मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता भी रहे और भारत सरकार में मंत्री भी रहे। सदन के पटलों पर वर्ष 1968 से 2000 तक उन्होंने जो भी कहा, वे उस समय के बिहार और देश की राजनीति की अमूल्य धरोहर है। ये अपने समय के ज्वलंत विषयों को प्रकट करते थे। उनके भाषण एक प्रखर चिंतक के स्वतंत्र विचारों को भी प्रदर्शित करते हैं।

राजनीति में राजनीतिक लाभ की चिंता न करके सच्चाई की राह पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उनमें भी ऐसे नेता और भी कम हैं, जो सच्चाई का साथ देने के लिए सिद्धान्त की राजनीति करें,चाहे उससे अपना नुकसान ही क्यों न हो!चाहे बिहार के आर्थिक हितों की रक्षा की बात हो या बिहार के विभाजन की बात हो या फिर भूमि-सुधार की, डॉ. मिश्र एक प्रगतिशील सोच लेकर आगे बढ़ते रहे.....अंजाम की परवाह किये बिना।

इस संग्रह के भाषण अपने मूल स्वरूप में ही हैं। बोलचाल की भाषा में। इनमें भाषा की संश्लिष्टता पर बल नहीं है, उदेश्यों में ईमानदारी और विचारों में स्पष्टता पर बल अवश्य है। हाँ, उन भाषणों की पठनीयता और उपादेयता को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने संपादकीय दायित्व का निर्वाह अवश्य किया है। संभव है, ऐसा करने में में कुछ त्रुटियाँ रह गई हों। आपके सुझावों से उन्हें अगले संस्करण में दूर कर दिया जाएगा।

डॉ. मिश्र अपने स्वर्गवास से पहले 23 पुस्तकें लिख चुके थे। यह पुस्तक उनकी 24वीं पुस्तक होती। हर वर्ष 24 जून को अपने संस्थान बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में वह किसी सामयिक विषय पर चर्चा करते थे।

आज वे अपनी भौतिक काया में हमारे बीच नहीं है, परन्तु उनके विचार हमारा सतत मार्गदर्शन करते रहेंगे। लोकतंत्र में विधायिका लोक-कल्याण का सबसे पवित्र और सबसे प्रभावी मंच मानी जाती है। उसी मंच से हुए उनके महत्त्वपूर्ण भाषणों का यह संग्रह अब आप सबके समक्ष है। लोककल्याण से जुड़े विषयों पर उनके ये भाषण लोकतंत्र को सशक्त बनाने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संग्रह समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी साबित होगा।

-संपादक

अनुक्रम

यादों में विराट् व्यक्तित्व

भूमिका

भाषण

सपने जो तब देखे 17

चुनौतियाँ 21

विकास कैसा हो 34

नया परिवर्तन 46

प्राथमिकताएँ 62

विश्वास और उपलब्धियाँ 64

अनुभव और सुझाव 76

वित्तीय प्रबंध-कुशलता 98

नीति कैसी हो 110

कोषागारों से अवैध निकासी 122

हरित क्रांति और उद्योगीकरण 124

रोजगार की समस्या 127

20 सूत्री कार्यक्रम 131

राजभाषा उर्दू 139

मीरे उर्दू 146

प्रेस के संबंध में भूल-सुधार 155

मद्य-निषेध 162

क्रीमी लेयर 169

दल-बदल नियम पर चर्चा 173

राजनीतिक राग-द्वेष 192

शिक्षकों के लिए हो एक कल्याण कोष 195

शिक्षकों की हड़ताल 198

शिक्षा की शोचनीय स्थिति 200

विश्वविद्यालयों में सुधार 205

विश्वविद्यालयों में आरक्षण 210

छोटानागपुर और संथाल परगना की समस्याएँ 216

नलकूप बेकार रहने से कृषि कार्य में हानि 224

परिशिष्ट

डॉ. जगन्नाथ मिश्र: एक संघर्षशील योद्धा 227

डॉ. जगन्नाथ मिश्र द्वारा लिखित-संपादित पुस्तक 236

डॉ. जगन्नाथ मिश्र वर्ष 1968 से 2000 तक विभिन्न सदनों के सदस्य रहे- संघीय विधायिका में भी और राज्य की विधायिका में भी। कभी सिर्फ एक सदस्य के रूप में, कभी मुख्यमंत्री के रूप में, कभी विपक्ष के नेता के रूप में या कभी केन्द्रीय मंत्री के रूप में। उनके जनप्रतिनिधि रूप के बहुव्यापी आयाम में लोकतंत्र पूरी तरह से परिलक्षित हो जाता है।

अपने बत्तीस साल के सदनों के सफर में उन्होंने विभिन्न विषयों पर सदनों में अपने विचार रखे। इन विचारों में उनके चिंतन की गहराई, एक शिक्षक की सूझबूझ, एक अर्थशास्त्री का पैनापन, लोककल्याण के लिए सचेष्टता और दलितों-वंचितों के अधिकारों के लिए समर्पण- सब झलकता है।

उनके व्यक्तित्व की सबसे ख़ास बात थी उनके विचारों का बेबाकीपन। सच से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। भले ही उसकी वजह से उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी हो...एक बार नहीं, कई बार, बार-बार। फिर भी न लोग उनके दिल से कभी दूर हुए और न वे जनमानस से कभी अलग हो सके।

चलिए, उनकी विचार-यात्रा से दो-चार होते हैं, समाज और देश को बेहतर बनाने के लिए।

डॉ. जगन्नाथ मिश्र : एक संघर्षशील योद्धा

डॉ. भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में 1960 में जीवन आरंभ करके अन्ततः अर्थशास्त्र के विश्वविद्यालय आचार्य पद पर आसीन हुए। उनकी स्कूली शिक्षा बलुआ बाजार माध्यमिक विद्यालय, सुपौल बिहार से हुई। उन्होंनेबी.ए. (ऑनर्स), टी.एन.बी. कॉलेज, भागलपुर से किया और फिर एम.ए. (अर्थशास्त्र) एल.एस. कॉलेज, मुज़फ्फरपुर से किया। उसके बाद उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से पीएच.डी (पब्लिक फिनान्स) की उपाधि प्राप्त की। वे बिहार के हितों के लिए संघर्ष करनेवाले नेता के रूप में ख्यातिप्राप्त हैं। बिनोवा भावे द्वारा चलाये गये भूदान आन्दोलन में उन्होंने 1953 से 1960 ई. तक सक्रियता से भागीदारी की और अपनी अधिकांश ज़मीन भूमिहीनों में बाँट दी। भूमिहीनों को बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में वे सदा तत्पर रहे।

1953 ई. में बलुआ बाजार सुपौल जिला से माध्यमिक परीक्षा देने के बाद उन्होंने सिंहभूम जिला के चाण्डिल में सर्वसेवा संघ के वार्षिक आयोजन में आचार्य विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से भूदान-आन्दोलन में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश किया। भागलपुर के टी.एन.बी. कॉलेज में छात्र सर्वोदय परिषद् का गठन किया जिसके वार्षिक सम्मेलन को प्रतिवर्ष लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्बोधित करते रहे। वहीं उनके सर्वोदयी जीवन की शुरुआत हुई। भूदान आन्दोलन के क्रम में पूरे राज्य में बिनोवा भावे की पद-यात्रा में वे साथ रहे। संत विनोबा भावे के भ्रमण के क्रम में उन्होंने अपने परिवार से हजार एकड़ ज़मीन भूदान आन्दोलन को दान में दिलवायी। भूमि हदबंदी कानून के अन्तर्गत अपनी अधिशेष भूमि बिहार राज्य सरकार को सौंप दी।

इनके परिवार का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास है। इनके पिता पण्डित रविनन्दन मिश्र समस्त कोशी क्षेत्र के वरद पुत्र थे। उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित परिवार में जन्म एवं पालन-पोषण होने के बावजूद उन्हें सामन्ती प्रवृत्ति छू तक नहीं सकी थी। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल सहज, सरल एवं निर्मल था। पं. रविनन्दन मिश्रजी के उच्चादर्शों और समाजसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धताऔर स्वतंत्रता आंदोलन की राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत संस्कारों के फलस्वरूप ही उनके परिवार को राष्ट्रीयता की प्रेरणा मिली।

पं. रविनन्दन बाबू के भ्रातृ पुत्र पं. राजेन्द्र मिश्र, महात्मा गाँधी के आह्वान पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की अपनी पढ़ाई को तिलांजलि देकर 1920 में राष्ट्रीय आन्दोलन में कूद पड़े। यह वह समय था जब

महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा था। राजा बाबू सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। पं. रविनन्दन बाबू की राष्ट्र भक्ति और राजा बाबू की राजनीतिक सक्रियता के प्रभाव में बलुआ तथा बसानपट्टी के मिश्र परिवार के अनेक लोग स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। राजा बाबू और ललित बाबू को कई बार जेल जाना पड़ा। पूरे परिवार को पुलिसिया दमनात्मक कार्रवाई का सहन करना पड़ा। देश में इनका ऐसा परिवार है जिसके ग्यारह सदस्यों ने स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में जेल की और दमन की अन्य यातनाएँ झेलीं।

उनका ही ऐसा परिवार है जिसे सौभाग्य प्राप्त है कि 1926 से लगातार अब तक परिवार का कोई न कोई सदस्य बिहार विधान मंडल और भारतीय संसद् के सदस्य बने रहे हैं। दो सदस्य केन्द्र सरकार में मंत्री, एक मुख्यमंत्री और तीन राज्य सरकार में मंत्री बने। इनके परिवार के पं. राजेन्द्र मिश्र और डॉ. मिश्र बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के दो-दो बार अध्यक्ष बने।

वे 1966 से बिहार विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और सिनेट में कई बार सदस्य निर्वाचित हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट एवं जे.एन.यू. के कोर्ट में भी दो बार सदस्य चुने गये। 1968 में पहलीबार मुज़फ्फरपुर, चम्पारण एवं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। 1969 में राष्ट्रपति के ऐतिहासिक चुनाव में ललित बाबू के सक्रिय कार्यकर्त्ता के रूप में बिहार में महत्वपूर्ण कार्य किया था। 1972, 1977, 1980, 1985 और 1990 में मधुबनी जिला के झंझारपुर से बिहार विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। 1972 में पहली बार श्री केदार पाण्डेय की सरकार में मंत्री बने। श्री अब्दुल गफ़ूर के मंत्रिमंडल में भी मंत्री नियुक्त हुए। 8 अप्रैल, 1975 को बिहार के पहलीबार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और 30 अप्रैल, 1977 तक उस पद पर बने रहे। 8 जून, 1980 को दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए जिस पद पर वे 13 अगस्त, 1983 तक बने रहे। तीसरी बार वे 6 दिसम्बर, 1989 को मुख्यमंत्री नियुक्त हुए जिस पर वे 10 मार्च, 1990 तक बने रहे।

मार्च, 1989 में वे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। दुबारा वे अप्रैल, 1992 में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1978 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के साथ कांग्रेस के विभाजन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। 1978 में बिहार विधान सभा में पहलीबार प्रतिपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। दूसरीबार मार्च, 1990 में बिहार विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। 1988 के अप्रैल में राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए। दूसरी बार अप्रैल, 1994 में वे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।

10 जून, 1995 को वे श्री पी.वी. नरसिंह राव मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास मंत्री नियुक्त हुए और जनवरी, 1996 में उन्हें कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया। उस पद पर वे 16 मई, 1996 तक बने रहे।

ग्रामीण विकास मंत्रीके रूप में उन्होंने त्रिसूत्री परिवार कल्याण योजना प्रारंभ की जिसके अंतर्गत बृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के प्रमुख की मृत्यु पर 10 हजार अनुकम्पा अनुदान और गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार के लिए दो बच्चों के लिए 500-500 रू0 का अनुदान सम्मिलित था। उन्होंने बिहार के सभी 727 प्रखंडों को सुनिज्चित रोजगार योजना में सम्मिलित किया तथा बिहार को प्रतिवर्ष 3 लाख इन्दिरा आवास की स्वीकृति दी। केन्द्रीय कृषि मंत्री के रूप में बिहार के जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं 16 कृषि सम्बंधी विषयों पर शोध-प्रतिष्ठानों की स्वीकृति करायी।

उर्दू भाषा को द्वितीय राज भाषा का दर्जा देने के लिए लखनऊ की मीर-एकेडमी द्वारा 'मीर-ए-उर्दू'की उपाधि दी गई। उर्दू तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए की गई सेवाओं को देखते हुए देश के अनेक राज्यों में अवस्थित अनेक संस्थाओं ने भी अलग-अलग उपाधियाँ दीं। दिल्ली में हुए विश्व उर्दू सम्मेलन में उन्हें 'मोहसिने उर्दू' की उपाधि दी गई।

डॉ. मिश्र 1982 ई. में प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के रूप में मॉस्को दौरे पर गये। मार्च 1996 में इजिप्ट के काहिरा में में एफ्रो-एशियन रुरल रिकन्स्ट्रक्शन ऑरगेनाइजेशन के 12वें महाधिवेशन में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

उनके कार्यकाल में बिहार की कारागारों में विचाराधीन कैदियों की स्थिति का अध्ययन कराया गया और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई।

गरीबी-रेखा से नीचे बसर करनेवालों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा चलाये गये शोध एवं विकास कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की।

उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एवं केन्द्रीय मंत्री के रूप में बिहार राज्य और देश के लिए मानवाधिकार सुरक्षित और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाज के सभी वर्गों के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर दलितों, पिछड़ों, महिला, बच्चों, सभी श्रेणी के किसानों के कल्याणार्थ कार्यक्रम लागू किया।स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनेक कार्य शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ता कल्याण कोष, रिक्शा चालक, रिक्शा स्वामित्व एवं अन्य कल्याण कार्य, कमजोर वर्ग के लिए विधिक सहायता अधिनियम लाया गया। 45000 चौकीदार-दफ़ादार को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रथम बार प्रशासनिक तंत्र का गठन किया गया।बिहार में प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गगत अनेक उद्योगों की स्थापना की गई।पहली बार अत्यंत पिछड़ी जाति की 1976 में पहचान एवं उन्हें विशेष सुविधा देना भी डॉ. मिश्र के दिशानिर्देश पर ही हुआ। अत्यंत पिछड़ी जाति के छात्रों को दलित छात्रों की तरह सुविधा, जिला बोर्ड

एवं जिला परिषद में अत्यंत पिछड़े एवं दलित का मनोयन भी उन्हीं के समय में हुआ। 1976 में विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में देश में पहली बार आदिवासी एवं दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। उनके कार्यकाल में 14 नवम्बर, 1980 को सम्पूर्ण राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई।औद्योगिक मजदूरों के कल्याण सम्बन्धा कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर चलाया गया। पहली बार श्रम नीति निर्धारित कर 23 लाख बूढ़ों एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 3 लाख पढ़े लिखे युवकों को बेरोजगारी भत्ता, 80 हजार रिक्शा चालक को रिक्शा का स्वामित्व सुनिश्चित हुआ।

डॉ. मिश्र के कुशल नेतृत्व में 2.50 लाख एकड़ ज़मीन अर्जित की गयी और भूमि सुधार के अधिनियम में अनेक संशोधान किये गये।भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों को ज़मीन देने, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सुरक्षा एवं कल्याण की अनेक योजनाओं के साथ-साथ औद्यौगिक एवं आर्थिक विकास की संभावनाओं को गतिशील बनाने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कराकर बिहार राज्य में सामाजिक न्याय एवं गरीबी उन्मूलन की सम्भावनाएँ बनाई गयीं। उससे भारत के संविधान के अन्तर्गत प्राप्त 'मानवाधिकार' और मूल अधिकार आम लोगों को उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुए। सहकारिता आन्दोलन से दलितों एवं आदिवासियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इन्हें सहकारिता का सदस्य बनाने के लिए 10 रुपये हिस्सा-पूँजी सरकार की ओर से दी जाने लगी और सभी स्तरों की प्रबंध समितियों में इन समूहों के लिए स्थान आरक्षित किये गये।

सभी श्रेणी के किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दिया गया। इसके फलस्वरूप 1982-83 में 2.50 लाख निजी नलकूप बैठाए गए। 4000 से अधिक राजकीय नलकूप लगाये गये। सभी श्रेणी के किसानों का बकाया सिंचाई-शुल्क माफ कर दिया गया और सिंचाई शुल्क स्थायी रूप से माफ कर दिया गया। 10 एकड़ तक जोतदार किसानों के लिए बिजली-शुल्क माफ कर दिया गया था। कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का कानून को सख्ती से लागू करने की जिला एवं प्रखंड के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था की गई। बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि अधिकृति नीति अधिनियम के अनुरूप राज्य में 11 लाख परिवारों को पर्चा उपलब्ध कराया गया। बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि अधिकृत अधिनियमों के अंतर्गत आवासी भूमि से विहीन परिवारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक समयबद्ध तरीके से 3 डिसमिल आवास की भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान हुआ।

डॉक्टर साहब के नेतृत्व में 54000 प्राथमिक विद्यालयों एवं 3000 माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण, 235 महाविद्यालयों का अंगीभूतीकरण, 429 संस्कृत विद्यालयों का राजकीयकरण एवं 39 संस्कृत महाविद्यालयों का अंगीभूतीकरण, मदरसा के शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों की

भाँति वेतन एवं सुविधा 1600 संस्कृत विद्यालयों एवं 1100 मदरसा को वित्त सहित मान्यता दी गई। 3776 संस्कृत विद्यालयों की स्वीकृति दी गई। 2995 मदरसों को मान्यता दी गई। मदरसा एवं संस्कृत बोर्ड की स्थापना की गई। अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतन, भत्ता स्वीकृत किया गया। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा के साथ 1000 उर्दू अनुवादक की नियुक्ति, उर्दू टाइपराइटर की व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष 4000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति, उर्दू विकास निदेशालय, उर्दू एकेडेमी को एक करोड़ का अनुदान 10 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना आदि उनके नेतृत्व की कुछ अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ रहीं। उनके समय में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रीडर एवं प्राफेसर की समयबद्ध प्रोन्नति का प्रावधान कर 8 हजार से अधिक शिक्षकों की समयबद्ध प्रोन्नति सुनिश्चित की गयी। पहली बार आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण आयुक्त की नियुक्ति के साथ प्रत्येक विभाग में आरक्षण समिति का गठन भी हुआ।

डॉ. मिश्र के कार्यकाल में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का यू.जी.सी. की स्वीकृति के लिए अपेक्षित 2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। उनके शासनकाल में ही भवन एवं ज़मीन के अभाव की पूर्त्ति 1976 ई. में दरभंगा राज की भूमि एवं भवन का अधिग्रहण विशेष व्यवस्था के आधार पर किया गया जिसके फलस्वरूप दरभंगा राज के अखबारों का कोपभाजन बनना पड़ा। संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान सहित प्रोफेसर एवं रीडर का प्रावधान किया गया। मदरसा की डिग्री को अन्य विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की डिग्री के समकक्ष बनाकर सरकारी सेवा के लिए उसे मान्य बनाया गया। कमजोर एवं गरीब लोगों, विधवा एवं बच्चों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कानून बना। अधिवक्ताओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना और अधिवक्ता पुस्तकालयों के लिए विशेष अनुदान। पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना। विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए यू.जी.सी. वेतनमान एवं सरकारी कर्मचारी के लिए केन्द्रीय वेतन लागू करने संबंधा नीति निर्धारण। प्रत्येक जिला में एक उद्योग की स्थापना की स्वीकृति और 37 औद्योगिक प्रांगण की स्वीकृति के साथ-साथ औद्योगिक विकास प्राधिकरण और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की स्थापना के साथ प्रेरणादायक औद्योगिक नीति। अनेक निगम, बोर्ड और अनेक सार्वजनिक कंपनियों का गठन महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा सकता है।

सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्ग की स्थिति एवं सरकारी सेवाओं में संख्या की जाँच के लिए मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में 1971 में एक आयोग का गठन हुआ था जिसका प्रतिवेदन डॉ. मिश्र के मुख्यमंत्रित्व काल में दिनांक 26 दिसम्बर, 1976 को प्रस्तुत हुआ उसे कार्यान्वित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए मंत्रिपरिषद् में संलेख उपस्थापित करने का निर्णय हुआ। 18 जनवरी, 1977

को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू होने के कारण आरक्षण लागू नहीं किया जा सका। नेता प्रतिपक्ष के रुप में डॉ. मिश्र ने कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति का खुलकर समर्थन किया। राज्य में चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन को समाप्त करने एवं इस पर सर्वानुमति बनाने हेतु सर्वदलीय बैठक में डॉ. मिश्र के (आरक्षण का) समर्थन से सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनी। बैठक में दिये गये सुझावों के परिप्रेक्ष्य में ही श्री ठाकुर ने आरक्षण नीति बनाई एवं इसकी अधिसूचना 10 नवम्बर, 1978 को जारी की। आरक्षण लागू करने के कारण ही श्री ठाकुर को जनता पार्टी ने बहुमत से मुख्यमंत्री से हटाया। उस समय डॉ. मिश्र ने विपक्ष के नेता के रूप में श्री ठाकुर का समर्थन किया था। 1980 में डॉ. मिश्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद आरक्षण नीति में संशोधन हुआ जिसमें प्रावधान हुआ कि जो पिछड़े लड़के योग्यता के अधिमान में आयेंगे उनकी गणना आरक्षित कोटे में नहीं होगी। मेधा से आये छात्रों को आरक्षित कोटा से अलग करने से पिछड़ा की संख्या सेवा में बढ़ गई। आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉ. मिश्र की सरकार ने पहलीबार आरक्षण आयुक्त का पद-सृजन करते हुए यह प्रावधान किया कि सभी विभाग में आरक्षण लागू हो।

डॉ. मिश्र के मुख्यमंत्रित्वकाल में ही अत्यन्त पिछड़ी जातियों में मदन प्रसाद सिंह (मल्लाह) योगेश प्रसाद योगेश (नोनिया) एवं जगदीश मंडल (केवट) को मंत्रिपरिषद में लिया गया। श्री महेन्द्र सहनी, श्री जगमल चौधारी, युगेश्वर प्रसाद निषाद एवं रामकरण पाल ऐसे अत्यंत पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को विभिन्न बोर्ड-कॉरपोरेशन का अध्यक्ष-उपाधयक्ष मनोनीत किया गया। प्रेम नारायण गढवाल, योगेन्द्र प्रसाद चौरसिया एवं अन्य कई व्यक्तियों को, जो पिछड़े वर्ग अतयंत अत्यंत पिछड़ी जाति से आते थे, को विधान परिषद् में सदस्य मनोनीत किया गया। डॉ. मिश्र के शासनकाल में पिछड़े वर्गों से डॉ. के.के. मंडल, डॉ. महावीर प्रसाद यादव, डॉ. ए.एस. यादव, डॉ. एच.एन. यादव, डॉ. परमेश्वर दयाल, डॉ. डी.एस. नाग(दलित) डॉ. ए.के. धान, डॉ. इन्दुधान (आदिवासी) जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित एवं आदिवासी समूह से कुलपति नियुक्त किये गये। उसी तरह डॉ. एम.क्यू. तोहिद, डॉ. फहीम अहमद एवं डॉ. एम.ए. गिलानी जैसे व्यक्ति अल्पसंख्यक समूह से कुलपति नियुक्त किये गये। डॉ. कुमार विमल एवं डॉ. एच.एन. यादव, श्री हसन जैसे अन्य पिछड़े वर्ग और मुसलमान के प्रतिनिधियों को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अल्पसंख्यक, दलित एवं आदिवासी वर्गों से लोक सेवा आयोग में प्रतिनिधित्व के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या भी बढ़ायी गई। विश्वविद्यालय सेवा आयोग, कॉलेज सेवा आयोग, विद्यालय सेवा आयोग जैसी संस्थाओं में इन वर्गों को निरंतर प्रतिनिधित्व दिया गया।

डॉ. मिश्र की सरकार के द्वारा 1980-81 के बजट में प्रावधान हुआ कि पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के छात्रों, दलित एवं आदिवासी छात्रों को मिल रही, छात्रवृत्ति की संख्या 2-5 लाख से बढ़कर

5 लाख और धान 4-5 करोड़ से 13-5 करोड़ की गयी। महादलित में मुशहर जाति के बच्चों की प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक छात्र को 30 रुपये प्रतिमाह भत्ते के भुगतान के लिए 9 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया। डॉ. मिश्र की सरकार ने 1981-82 के बजट में यह प्रावधान किया था कि अत्यंत पिछड़ी जाति के छात्रों को वही सुविधा मिलेगी जो दलित छात्रों को उपलब्ध है। 1976 में बिहार के आदिवासी बाहुल्य 111 प्रखंडों में जनजाति उप योजना चालू की गयी। 1980-81 में बिहार में दलितों (अनुसूचित जाति) के लिए अंगीभूत योजना प्रारंभ हुई जिसके अंतर्गत कुल योजना उद्व्यय का 24 प्रतिशत जनजाति उपयोजना एवं अंगीभूत योजना के लिए कर्णांकित करने का प्रावधान हुआ। दलित एवं आदिवासी छात्रों के लिए प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर आवासीय विद्यालय के साथ-साथ प्रत्येक प्रखण्ड में कम से कम 4 माध्यमिक विद्यालय और उसमें लड़की के लिए एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई। उसी क्रम में 1982 में एक सौ पचास प्रोजेक्ट हाई स्कूल भी स्थापित गये, जिनमें अनेक बालिका उच्च विद्यालय भी सम्मिलित किये गये थे। बालिकाओं की शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था।

डॉ. मिश्र ने 1994 में ही कहा था कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में यह आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कराने के लिए पिछड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर दो मुख्य वर्गों में अलग-अलग विभाजित किया जाए और उनका स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि लगभग समान स्तर का लाभ उस प्रकार के संबंधित वर्ग की सभी जातियों को समान रूप से प्राप्त हो सके और संबंधित वर्गों की प्रभावशाली जातियों से इन जातियों के लोग प्रतिस्पर्धा से बच सकें और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त करना संभव हो। आरक्षित 27 प्रतिशत का लाभ यह वर्गीकरण कर उनकी आबादी के अनुपात में दिया जाए।

बिहार के औद्योगीकरण के लिए केन्द्र सरकार से विशेष सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उनकी सरकार ने बिहार से कोयला एवं अन्य खनिज से प्राप्त हो रही रॉयल्टी को मूल्य आधारित करने की माँग की। बिहार की खनिज संपदा में भारत सरकार से मूल्य की तुलना में बहुत कम रॉयल्टी प्राप्त होती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद् में उन्होंने सवाल उठाया था कि पंचवर्षीय योजना में निवेश एवं योजना सहायता भी बहुत कम है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय से 61 प्रतिशतकी कमी है। इसे पाटने के लिए आंतरिक संसाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से खनिज की रॉयल्टी का मूल्य निर्धारण किया जाना उचित है। भारत सरकार सहमत नहीं हुई। खनिज स्वामित्व अधिनियम के तहत सेस लगाने का अधिकार राज्य सरकार का है। अबतक रॉयल्टी का कुछ प्रतिशत ही सेस लगाया जा रहा था जिससे बिहार को 25-30 करोड़ की ही आय हुआ करती थी। बिहार की आर्थिक संपन्नता के लिए 1981 में खनिज संपदा के मूल्य के आधार पर ही सेस लगाने का अधिनियम पारित किया गया जिसके कारण

बिहार की आमदनी बढ़कर 30 करोड़ से 500-600 करोड़ होने लगी। आज झारखंड सरकार को इस फ़ार्मूला से हजार करोड़ की आमदनी हो रही है। किन्तु अपने प्रदेश के हित में लिए गए फ़ैसले के कारण केन्द्र सरकार को उनके प्रति नाराजगी उत्पन्न हो गयी। बिहार के हित में उन्होंने दूसरा निर्णय यह लिया कि बिहार के आनुजंगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीदारी बिहार के बड़े उद्योगों द्वारा की जाय, जिसका लाभ छोटे उद्योगों को मिल सकेगा। उन्होंने एक अध्यादेश जारी कर यह प्रावधान करने का निज्चय किया कि अगर बिहार के आनुजंगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद बड़े उद्योग नहीं करेंगे तो राज्य सरकार इन उद्योगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी। प्रान्त-हित में तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव उन्होंने भारत सरकार को यह दिया था कि बिहार के औद्योगिक उत्पाद जो अन्य राज्यों को भेजे जाते हैं, उन उत्पादों से बिहार को 'ट्रांसफर ऑफ स्टाक' के नाम पर बिक्री कर से वंचित होना पड़ता है। केन्द्र सरकार से यह माँग की गई कि राज्य सरकार को कनसाइनमेंट टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाय। चौथी बात थी कि माल भाड़ा समानीकरण के कारण बिहार बड़े उद्योगों से वंचित रहा है, क्योंकि बिहार की खनिज संपदा का मूल्य जो बिहार में रहा वही बिहार से बाहर मुम्बई, चेन्नई इत्यादि में भी रहता था। सामान्यतः बड़े उद्योग घराने बिहार में उद्योग स्थापित करने के बजाय बिहार से बाहर उद्योग स्थापित करते रहे। इन चारों मुद्दों को उठाये जाने के कारण केन्द्र सरकार की नाराजगी उनके प्रति बढ़ती गई और कांग्रेस के भीतर इनके विरुद्ध के गुट सूबे के हित की अनदेखी कर कांग्रेस आलाकमान के समक्ष यह मुद्दा उठाते रहे कि वे केन्द्र के विरुद्ध हैं और टकराहट उत्पन्न कर रहे हैं। केन्द्रीय नेतृत्व की नाराजगी का यह प्रमुख मुद्दा बनता गया।

डॉ. जगन्नाथ मिश्र को बिहार की प्रगतिशील शैक्षिक अधःसंरचना के निर्माण का श्रेय जाता है। कई शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से की-

ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना
ललित नारायण मिश्र व्यापार प्रबंधन महाविद्यालय, मुज़फ्फरपुर
ललित नारायण मिश्र तिरहुत महाविद्यालय, मुज़फ्फरपुर और
बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना।

वे ललित नारायण मिश्र मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा की स्थापना के भी प्रेरणास्तम्भ रहे। उन्होंने छपरा में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, आरा में वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, हजारीबाग में संत बिनोवा भावे विश्वविद्यालय, सहरसा (अब मधेपुरा) एवं पटना में मौलाना मजहरुल हक अरबी पर्सियन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अधिनियम पारित कराया। लोक भाषा साहित्य के संवर्धन के उद्देश्य से मैथिली, उर्दू, भोजपुरी, संस्कृत, मगही, बाँग्ला अकादमियों के साथ दक्षिण भारतीय भाषा

संस्थान की भी स्थापना की हैं। पटना में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान की स्थापना के साथ-साथ राज्य में 150 रेफरल अस्पताल की स्थापना करवायी।

उन्होंने ख्यातिप्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में लगभग 40 शोध-पत्र लिखे। उनके निर्देशन में 20 शोधार्थियों ने अर्थशास्त्र विषय में पी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। अनेक शोधकर्ताओं का उन्होंने सक्रिय मार्गदर्शन भी किय।

वर्ष 2008 में कोशी की प्रलयकारी बाढ़ के बाद ये सक्रिय राजनीति से अलग हो गये। बाढ़ की बिभीषिका ने और प्रभावित लोगों की पीड़ा ने उनके सार्वजनिक जीवन की दिशा बदल दी। उसके बाद वे पूर्णकालिक रूप से कोशी के विस्थापितों के कल्याण-कार्य से जुड़ गए। वर्ष 2019 में अपने अंत समय तक बिहार और देश के हित के लिए अपने बेबाक अंदाज में संघर्ष करते रहे।

डॉ. जगन्नाथ मिश्र द्वारा
लिखित एवं सम्पादित प्रकाशित पुस्तकें

1. सार्वजनिक वित्त
2. मनी, बैंकिंग एण्ड इंटरनेशनल ट्रेड
3. लैंड रिफार्मस इन बिहार
4. एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन बिहार
5. इंडस्ट्रीयल फाइनेंसिंग इन बिहार
6. आर्थिक सिद्धांत एवं व्यावसायिक संगठन
7. ट्रेंड्स इन इंडियन फ़ेडरल फ़िनान्स
8. कॉपरेटिव बैंकिंग इन बिहार
9. दिशा संकेत
10. इंडियाज इकोनामिक डेवलपमेंट
11. फ़िनांसिंग ऑफ स्टेट प्लान्स
12. भारतीय आर्थिक विकास की नयी प्रवृत्तियाँ
13. प्लानिंग एण्ड रिजनल डेवलपमेंट इन इंडिया
14. न्यू डायमेंसन्स ऑफ फेडरल फ़िनान्स
15. बिहार की पीड़ा से जुड़िये
16. माई विजन फ़ॉर इंडियाज रुरल डेवलपमेंट
17. भारतीय संघ की वित्तीय प्रवृत्तियाँ
18. चिन्तन के आयाम
19. बिहारः विकास और संघर्ष
20. समग्र विकासः एक सोच
21. ए क्रिटिक ऑफ द इकॉनामिक्स ऑफ कीइन्स एण्ड पोस्ट कीइन्स थ्योरी
22. बिहार बढ़कर रहेगा
23. लेबर इकॉनामिक्स

"श्री जगन्नाथ मिश्र एक लोकप्रिय नेता और कुशल प्रशासक थे। वे तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। श्री मिश्र ने बिहार और भारत की राजनीति में अमूल्य योगदान दिया''

श्री राम नाथ कोविन्द
माननीय राष्ट्रपति

"डॉ. जगन्नाथ मिश्र जी की पहचान एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ एक शिक्षाविद् के रूप में भी थी''

श्री नरेन्द्र मोदी,
माननीय प्रधानमंत्री

"Thrice CM of Bihar, Union Minister & an academic, he was a progressive leader deeply concerned about the development of Bihar"

Shri Pranab Mukherjee
Former President

"Dr. Mishra always stood for the interests of the deprived and the marginalized minorities in society"

Smt. Sonia Gandhi
Congress President

डॉ. शिप्रा मिश्र एक प्रबन्धन सलाहकार हैं। कई गैर सरकारी सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। ये एक स्वतंत्र पत्रकार भी हैं।

मूल्य– 300 रुपये

ISBN 9788193457030

DJMIES

डॉ. जगन्नाथ मिश्र आर्थिक अध्ययन संस्थान
वीणाकुंज, 113/70 बी,
लालबहादुर शास्त्री नगर, पटना-800023